

## प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर उदग्रहणों से सम्बन्धित राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अभियोजन तथा शास्ति प्रशासन की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2013-14 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में देखने में आए, 2013-14 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहाँ कहीं आवश्यक हुए, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग-केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।